| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| | दिदार खां बनाम लो.सू.अ. ( उप तहसीलदार झंवर )<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 49 / 2019 |
| 15.05.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिदार खां पुत्र चांद खां मु.पो.झंवर, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.02.19 में उसके द्वारा (1) मुझ शिकायतकर्ता दिदार खां पुत्र चांद खां निवासी झंवर द्वारा दिनांक 20.12.2018 को उपतहसीलदार साहब झंवर के समक्ष " उपतहसील झंवर हेतु आरक्षित सरकारी भूमि खसरा नं. 1790 पर अवैध कब्जों एवं इस भूमि पर खोले अवैध रास्ता के संबंध में कार्यवाही बाबत् पेश प्रार्थना पत्र शिकायत पर उप तहसील कार्यालय झंवर द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना", से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उप तहसीलदार झंवर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उप तहसीलदार झंवर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. ( उप तहसीलदार झंवर ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। |